

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7, 1972/आश्विन 15, 1894

No. 444] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 1972/ASVINA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1972.

S. O. 647(E).—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said order :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 6 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture Department of food, No. S.O. 585 (E) dated the 8th September, 1972., I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the maximum prices at which vegetable

oil products may be sold in the various zones specified below, with effect from the date 8th October, 1972, as follows :—

	ZONE 'A'			ZONE 'B'		
	By producer (Rs.)	By whole-saler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By Producer (Rs.)	By whole-saler (Rs.)	By retailer (Rs.)
	Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, (Other than the districts/areas specified in Zone B'), Chandigarh and Delhi.			Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, the district of Almora, Chamli, Garhwal, Pithoragarh, Tehri Garwal and Uttar Kashi and the hilly areas, of the districts of Dehra Dun and Nainital, in Uttar Pradesh.		
(a) <i>In tin containers</i> (Net capacity in kilograms)						
16.5	87.25	92.85	94.50	89.62	95.34	96.99
15.0*	79.80	84.91	86.41	81.96	87.18	88.68
4.0	23.12	24.58	24.98	23.70	25.19	25.59
2.0	12.05	12.80	13.00	12.33	13.10	13.30
(b) <i>In high-density polythene containers</i> (Net capacity, in kilograms)						
2.0	11.89	12.63	12.83	12.17	12.93	13.13
1.0	6.37	6.76	6.86	6.51	6.91	7.01
(c) <i>In returnable galvanised-steel drums</i> Per kilogram, net						
(i) Aerated*	5.24	5.58	..	5.39	5.73	..
(ii) Non-aerated	5.22	5.56	..	5.37	5.71	..
(d) <i>Loose, in small quantities</i> Per kilogram, net	..	..	5.71	..	..	5.86
	ZONE 'C'			ZONE 'D'		
	By producer (Rs.)	By whole-saler (Rs.)	By retailer (Rs.)	By producer (Rs.)	By whole-saler (Rs.)	By retailer (Rs.)
	Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Aminidive Islands and Pondicherry.			Bihar, Orissa and West Bengal.		
(a) <i>In tin containers</i> (Net capacity, in kilograms)						
16.5	84.66	90.13	91.78	87.62	93.24	94.89
15.0*	77.40	82.44	83.94	80.14	85.27	86.77
4.0	22.50	23.92	24.32	23.22	24.68	25.08
2.0	11.73	12.47	12.67	12.09	12.84	13.04
(b) <i>In high-density polythene containers</i> (Net capacity, in kilogrammes)						
2.0	11.57	12.30	12.50	11.92	12.67	12.87
1.0	6.20	6.59	6.69	6.39	6.78	6.88
(c) <i>In returnable galvanised steel drums</i> Per kilograms, net						
(i) Aerated*	5.08	5.41	..	5.26	5.60	..
(ii) Non-aerated	5.06	5.39	..	5.24	4.58	..
(d) <i>Loose, in small quantities</i> Per kilogram, net	..	..	5.54	..	..	5.73

	ZONE 'E'			ZONE 'F'		
	Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram.			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu.		
	By producer	By Whole-saler	By retailer	By producer	By whole-saler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) <i>In tin containers</i> (Net Capacity) in kilograms)						
16.5	89.38	95.09	96.74	86.13	91.67	93.32
15.0*	81.74	86.95	88.45	78.77	83.83	85.33
4.0	23.65	25.13	25.53	22.86	24.30	24.70
2.0	12.30	13.07	13.27	11.90	12.65	12.85
(b) <i>In high-density polythene containers</i> (Net capacity, in kilograms)						
2.0	12.14	12.90	13.10	11.74	12.48	12.68
1.0	6.49	6.89	6.99	6.29	6.68	6.78
(c) <i>In returnable galvanised-steel drums</i> Per kilograms, net						
(i) Aerated*	5.57	5.71	..	5.17	5.50	..
(ii) Non-aerated	5.35	5.69	..	5.15	5.48	..
(d) <i>Loose, in small quantities</i> Per kilogram, net	..	..	5.84	..	..	5.64

NOTE.—(1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.

(2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.

(3) The price limits for sale wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation :—In this notification

(i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kgs. of vegetable oil products to any one consumer at a time.

(ii) "Wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product

(a) to a retailer in any quantity, or

(b) to a consumer exceeding 16.5 kgs. at a time.

[No. 12-2/72-C. & P.]

F. G. T. MENEZES, Director (Vanaspati).

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1972.

क्र० आ० 647(अ).—यतः सै एफ. जी० टी० मैनेजिज वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1948 के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधीन उक्त आदेश की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अतः अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 सितम्बर, 1958 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण आदेश 1947 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० घा० 585(ई) तारीख 8-9-1972 को अधिकृत करते हुए मैं एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहमति से अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 8.10.72 से विक्रय किया जा सकेगा निम्नलिखित रूप से नियत करता हूँ :—

जोन 'क'

जोन 'ख'

हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश।
(जोन 'ख' में दिये ग जिलों तथा
क्षेत्रों के अतिरिक्त), चंडीगढ़ और
दिल्ली।

हिमाचल प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर तथा
उत्तर प्रदेश अलमोड़ा, चमोली,
गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेरी गढ़वाल
और उत्तर काशी जिले, तथा देहरादून
और नैनीताल जिलों के पर्वतीय क्षेत्र।

उत्पादक द्वारा	थोक — विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक— विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(क) टिन के आघातों में

(किलोग्रामों में

शुधारिता)

16.5	87.25	92.85	94.50	89.62	95.34	96.99
15.0*	79.80	84.91	86.41	81.96	87.18	88.68
4.0	23.12	24.58	24.98	23.70	25.19	25.59
2.0	12.05	12.80	13.00	12.33	13.10	13.30

(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आघातों में

(किलोग्रामों में

शुद्धावृत्ति)

2.0	11.89	12.63	12.83	12.17	12.93	13.13
1.0	6.37	6.76	6.86	6.51	6.91	7.01

(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में

(प्रति किलोग्राम)

शुद्ध

(1) वातित	5.24	5.58	—	5.39	5.73	—
(II) अवातित	5.22	5.56	—	5.37	5.71	—

(घ) खुला, थोड़ी मात्रा में

प्रति किलोग्राम

शुद्ध	—	—	5.71	—	5.86	—
-------	---	---	------	---	------	---

जोन 'ग'

जोन 'घ'

आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, तथा पश्चिमी बंगाल ।
लक्काद्वीप, मिनिकाय, और अमीनदीवी
द्वीप समूह और पांडिचेरी

उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)	(रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(क) टिन के आधानों में
(किलोग्रामों में
शुद्धधारिता)

16.5	84.66	90.13	91.78	87.62	93.24	94.89
15.0	77.44	82.44	83.94	80.14	85.27	86.77
4.0	22.50	23.92	24.32	23.22	24.68	25.08
2.0	11.73	12.47	12.67	12.09	12.84	13.04

(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधानों में
(किलोग्रामों में

शुद्धधारिता)

2.0	11.57	12.30	12.50	11.92	12.67	12.87
1.0	6.20	6.59	6.69	6.39	6.78	6.88

(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में
प्रतिकिलोग्राम,

शुद्ध

(i) वातित	5.08	5.41	—	5.26	5.60	—
(ii) अववातित	5.06	5.39	—	5.24	5.58	—

(घ) खुला थोड़ी मात्रा में
प्रतिकिलोग्राम,

शुद्ध	—	—	5.54	—	—	5.73
-------	---	---	------	---	---	------

जोन 'इ'			जोन 'च'		
असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल तथा निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मिजोराम ।			गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव ।		
उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
(र०)	(र०)	(र०)	(र०)	(र०)	(र०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(क) टिन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
16.5	89.38	95.09	96.74	86.13	91.67
15.0*	81.74	86.95	88.45	78.77	83.83
4.0	23.65	25.13	25.53	22.86	24.30
2.0	12.30	13.07	13.27	11.90	12.65
(ख) उच्च घनत्व के पालीथीन के आधानों में (किलोग्रामों में शुद्धधारिता)					
2.0	12.14	12.90	13.10	11.74	12.00
1.0	6.49	6.89	6.99	6.29	6.68
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के इन्फों में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
(i) वातित	5.37	5.71	—	5.17	5.50
(ii) अवातित	5.35	5.69	—	5.15	5.48
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध					
	—	—	5.84	—	5.6

टिप्पण :—

- (1) (*) वातित क्वालिटी-विशेष अनुज्ञा के अधीन विनिर्मित ।
- (2) उत्पादक द्वारा विक्रेता के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ठुलाई सम्मिलित है किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय-कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे अनेक ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।
- (3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कीमत सीमाओं में ठुलाई और उत्पाद शुल्क सम्मिलित है किन्तु विक्रय कर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण--

- (i) फुट कर विक्रेता से ऐसा ही व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक बनस्पति तेल उत्पाद विक्रय करता है
- (ii) "योक विक्रेता" से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,
- (क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी माला में, या
- (ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक बनस्पति तेल उत्पादन विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/72-सी० तथा पी०]

एफ० जी० टी० मैनेजिज, निदेशक (बनस्पति) ।

